न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय रणजीत सिंह वगै0 बनाम खेमसिंह वगै0 किस्म मुकदमा: 212 आर0टी0एक्ट0	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुयें।
24/22		
25.03.2022	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी रणजीतसिंह पुत्र खेमसिंह, जाति तैली राठौर, निवासी कस्बा नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर वारिस काबिज जायदाद मृतक दादा परसराम पुत्र सोहनपाल सिंह जाति तैली राठौर कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर ने अपने वकील श्री श्याम बाबू सेठी एड0 के साथ उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 के तहत अपने मूल दावा के साथ पेश किया। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस बावत जारी करने स्थगन आदेश सुनी गई। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का होना प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। आदेश है कि:– प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे एवं अप्रार्थीगण खेमसिंह वगै0 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे आ0ता0पेशी दिनांक 20.04.2022 तक ख0नं0 266/0.77 बाके कस्बा नगर तह0 नगर पर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज 1/2 हिस्से पर कब्जे काश्त सायल में किसी प्रकार की मदाख्लत मजाहमत नहीं करें, जोतने बोने से नहीं रोकें, आराजी को दीगर सख्शों को रहन वय मुंतकिल न करें एवं आराजी पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें वं ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हकूक सायल जायल हो। इस आदेश को जारी रहने में कोई भी आपत्ति हो तो न्यायालय में दिनांक 20.04.2022 को उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। [signature] उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज। अ०	
20/04/22	~~अभिभाषक ... द्वारा कार्य का ... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 09/05/22 को पेश हो~~	Not Press
20/4/22	पत्रावली आज पेश हुई, प्रार्थीगण व उनके वकील उप०, प्रार्थीगण व उनके वकील ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र की बाबत प्रकरण में राजीनामा हो गया है अतः प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारिज करवाया जावे। प्रार्थीगण व उनके वकील के कथनों पर सिनार किया गया [illegible] कि प्रार्थीगण का [illegible] करवाया जाता है। पत्रावली [illegible] दिनांक 26.03.2022 को जारी T.I. vacate की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मियाद मूल दाखिल हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज०	रणजीत सिंह सुरेन्द्र सिंह लक्ष्मी [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.10.05 16:06:18 IST
Reason: SelfAttested